पत्र संख्या–11 / न0वि0–विविध–03 / 2022– /न0प्र0नि0

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
(नगरपालिका प्रशासन निदेशालय)

प्रेषक,

उमाकांत पाण्डेय,
अपर निदेशक–सह–परियोजना पदाधिकारी,
नगरपालिका प्रशासन निदेशालय।

सेवा में

नगर आयुक्त,
मुजफ्फरपुर नगर निगम।

पटना, दिनांक–

विषयः–बिहार मोबाईल टावर, ऑप्टिकल फाईबर केबल्स और संबंधित दूरसंचार अवसंरचना नियमावली, 2020 के तहत ऑनलाईन माध्यम से प्राप्त मोबाईल टावर आवेदन पत्र का स्थलीय जाँच कर NOC निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 61 / सा0 दिनांक 10.01.2022 द्वारा बिहार मोबाईल टावर, ऑप्टिकल फाईबर केबल्स और संबंधित दूरसंचार अवसंरचना नियमावली, 2020 के तहत प्राप्त आवेदनों के निष्पादन में कठिनाईयों के आलोक में विभागीय मार्गदर्शन की मांग की गई है।

2. पत्र की कंडिका 1 के संबंध में उल्लेखनीय है कि बिहार मोबाईल टावर, ऑप्टिकल फाईबर केबल्स और संबंधित दूरसंचार अवसंरचना नियमावली, 2020 के नियम 9.10 के प्रावधान के अनुसार मौजूदा अनधिकृत मोबाईल टावरों या ओ0एफ0सी0 के लिए स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदन नियमावली के जारी होने की तिथि के छह महीने के भीतर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। इस प्रकार पूर्व से मौजूद अनधिकृत टावरों के नियमितीकरण हेतु आवेदन प्राप्त कर नियमावली के प्रावधान के अनुसार निर्धारित शुल्क लेकर नियमित किया जाना अपेक्षित है।

3. पत्र की कंडिका 2 के संबंध में उल्लेखनीय है कि उक्त नियमावली के नियम 7.1.4 (V) में भी स्पष्ट प्रावधान है कि नींव और डिजाईन मापदंडों के विनिर्देशों सहित पूर्ण विवरण के साथ टावर का आरेखन किया जायेगा।

4. पत्र की कंडिका 3 के संबंध में उल्लेखनीय है कि संबंधित मोबाईल टावरों से पृच्छा की जा सकती है तथा माननीय उच्च न्यायालय का आदेश एवं राशि जमा किये जाने से संबंधित साक्ष्य की मांग की जा सकती है। बिहार मोबाईल टावर, ऑप्टिकल फाईबर केबल्स और संबंधित दूरसंचार अवसंरचना नियमावली, 2020 के नियम 8.3 (3) में यह प्रावधान है कि स्थानीय प्राधिकारी लाईसेंसधारक द्वारा क्षति को बहाल करने के लिए जिम्मेवारी का निर्वहन करने, जो उपयुक्त प्राधिकरण को काम के परिणामस्वरूप हो, हेतु ओ0एफ0सी0 के लिए अनुमति देते समय बैंक गारंटी के रूप में इस तरह के नुक्सान की बहाली के लिए खर्च के बदले में 50 / –रूपये भूमिगत ओ0एफ0सी0 के प्रति रनिंग मीटर के हिसाब से ऐसे दायित्वों को निर्वहन करने हेतु सुरक्षा के रूप में रखेगा। उक्त प्रावधान का अनुपालन अपेक्षित होगा।

3. अनुरोध है कि उपर्युक्त अनुसार कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

ह0 / –
अपर निदेशक–सह–परियोजना पदाधिकारी,
नगरपालिका प्रशासन निदेशालय।

ज्ञापांक–11/न0वि0–विविध–03/2022– 193 /न0प्र0नि0, पटना, दिनांक– 24/01/22

प्रतिलिपिः–सभी नगर आयुक्त, नगर निगम/सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद् एवं नगर पंचायत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/01/22

अपर निदेशक–सह–परियोजना पदाधिकारी,
नगरपालिका प्रशासन निदेशालय।